

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
केंद्रीय लेखा कार्यालय, प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली
31 दिसम्बर, 2009 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु
अलेखापरीक्षित (पुनरीक्षित) वित्तीय परिणाम

(लाख रुपए में)

क्र०सं.	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त नौ माह	समाप्त नौ माह	समाप्त वर्ष
		31.12.2009 (iqujhf{kr)	31.12.2008 (iqujhf{kr)	31.12.2009 (iqujhf{kr)	31.12.2008 (iqujhf{kr)	31.03.2009 (yskkijhf{kr)
1	अर्जित ब्याज (क)+(ख)+ (ग)+ (घ)	267159	240050	757163	650116	885647
	(क) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/मितिकाटा	195169	180985	560752	481155	651970
	(ख) निवेशों पर आय	65794	54414	181252	159782	214103
	(ग) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अधिशेषों तथा अन्य अन्तर बैंक निधियों पर ब्याज	6192	4645	15092	9127	16892
	(घ) अन्य	4	6	67	52	2682
2	अन्य आय	23768	31770	93464	73725	107132
3	कुल आय (1+2)	290927	271820	850627	723841	992779
4	व्यय किया गया ब्याज	179872	183497	565356	497216	685997
5	परिचालन व्यय (i)+(ii)+(iii)	48776	49700	120813	111958	138284
(i)	कर्मचारी लागत	28913	36140	68536	67471	75616
(ii)	किराया, कर एवं बिजली	4424	3723	12732	11195	15318
(iii)	अन्य परिचालन व्यय	15439	9837	39545	33292	47350
6.	कुल व्यय (4) + (5) (प्रावधान तथा	228648	233197	686169	609174	824281

	आकस्मिकताओं को घटाकर)					
7	परिचालन लाभ (प्रावधान तथा आकस्मिकताओं से पूर्व)(3-6)	62279	38623	164458	114667	168498
8	प्रावधान (कर से भिन्न) तथा आकस्मिकताएं	19206	5194	39855	44661	52490
9	अपवादस्वरूप मर्दे	0	0	0	0	0
10	कर से पूर्व साधारण क्रियाकलापों से लाभ (+)/हानि (-) (7-8-9)	43073	33429	124603	70006	116008
11	कर व्यय - चालू वर्ष	14130	8210	42839	13746	40166
	कर व्यय - पिछले वर्ष का समायोजन	0	0	0	-14700	-14700
12	कर पश्चात् साधारण क्रियाकलापों से लाभ (+)/हानि (-)(10-11)	28943	25219	81764	70960	90542
13	असाधारण मर्दे (बट्टे खाते डाला गया समामेलन समायोजन खाता)	0	0	0	0	0
14	अवधि का निवल लाभ (+) /हानि (-) (12-13)	28943	25219	81764	70960	90542
15	प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10/- रु. प्रति शेयर)	25054	25054	25054	25054	25054
16	प्रारक्षित निधि, पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियों को निकालकर					620181

	(पिछले लेखा वर्ष के तुलन-पत्र के अनुसार)					
17	विश्लेषणात्मक अनुपात					
(i)	भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत	51.09	51.09	51.09	51.09	51.09
(ii)	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) □□□□□-I	11.66	12.01	11.66	12.01	12.00
	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) □□□□□-II	13.20	लागू नहीं	13.20	लागू नहीं	12.98
(iii)	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (रु. में)					
	(क) तिमाही हेतु असाधारण मदों (बट्टे खाते डाला गया समामेलन समायोजन खाता) से पूर्व मूल और ह्रासित ईपीएस - वार्षिकीकृत नहीं	11.55	10.07	32.64	28.32	36.14
	(ख) तिमाही हेतु असाधारण मदों (बट्टे खाते डाला गया समामेलन समायोजन खाता) के बाद मूल और ह्रासित ईपीएस - वार्षिकीकृत नहीं	11.55	10.07	32.64	28.32	36.14
(iv)	एनपीए अनुपात					
	(क) सकल एनपीए	128804	108940	128804	108940	105812
	(ख) निवल एनपीए	58410	49688	58410	49688	44242
	(ग) कुल एनपीए का %	1.64	1.66	1.64	1.66	1.53
	(घ) निवल एनपीए का %	0.75	0.76	0.75	0.76	0.65
	आस्तियों पर आय (वार्षिक)	0.91	0.95	0.90	0.94	0.88

	आधार पर) (%)					
18	सार्वजनिक शेयरधारिता					
	-शेयरों की संख्या	122539700	122539700	122539700	122539700	122539700
	-शेयरधारिता का प्रतिशत	48.91	48.91	48.91	48.91	48.91
19	प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह की शेयरधारिता					
	क. गिरवी/भारग्रस्त					
	शेयरों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	शेयरों का प्रतिशत (प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह की कुल शेयरधारिता के प्रतिशत के रूप में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	शेयरों का प्रतिशत (कम्पनी की कुल शेयर पूंजी के प्रतिशत के रूप में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख. भार रहित					
	शेयरों की संख्या	128000000	128000000	128000000	128000000	128000000
	शेयरों का प्रतिशत (प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह की कुल शेयरधारिता के प्रतिशत के रूप में)	100	100	100	100	100
	शेयरों का प्रतिशत (कम्पनी की कुल शेयर पूंजी के प्रतिशत के रूप में)	51.09	51.09	51.09	51.09	51.09

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

31 दिसम्बर, 2008 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु खंडवार रिपोर्टिंग

(लाख रु. में)

खंड क: कारोबार खंड	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त नौ माह	समाप्त नौ माह	समाप्त वर्ष
	31.12.2009 (पुनरीक्षित)	31.12.2008 (पुनरीक्षित)	31.12.2009 (पुनरीक्षित)	31.12.2008 (पुनरीक्षित)	31.03.2009 (लेखापरीक्षित)
क) खंडवार राजस्व					
क) राजकोषीय परिचालन	70875	74034	220875	193628	263785
ख) कारपोरेट/थोक बैंकिंग	167331	146695	502733	403673	597501
ग) रिटेल बैंकिंग	93728	81387	244638	214862	271267
घ) अन्य बैंकिंग कारोबार	7959	29600	30492	86818	104108
ङ) अनाबंटित	0	0	0	0	0
कुल	339893	331716	998738	898981	1236661
घटाएं: अंतर खंड राजस्व	48966	59896	148111	175140	243882
परिचालनों से निवल बिक्री/ आय	290927	271820	850627	723841	992779
2 कर व ब्याज से पूर्व खंडवार परिणाम (लाभ) (+) (हानि) (-)					
क) राजकोषीय परिचालन	19389	14947	68878	-7101	-7759
ख) कारपोरेट/थोक बैंकिंग	8453	3572	21170	24694	42335
ग) रिटेल बैंकिंग	9337	2173	10302	13143	19220
घ) अन्य बैंकिंग कारोबार	*5893	12737	*24252	39270	62212
ङ) अनाबंटित	0	0	0	0	0
कुल	43073	33429	124603	70006	116008
घटाएं:					
(i) ब्याज	0	0	0	0	0
(ii) अन्य अनाबंटित व्यय	0	0	0	0	0
(iii) अनाबंटित आय	0	0	0	0	0
(iv) कर	14130	8210	42839	-954	25466

	कर पश्चात् कुल लाभ	28943	25219	81764	70960	90542
3	नियोजित पूँजी (खंड आस्तियां - खंड देयताएं)					
	क) राजकोषीय परिचालन	48346	60673	48346	60673	41697
	ख) कारपोरेट/थोक बैंकिंग	475468	368793	475468	368793	414843
	ग) रिटेल बैंकिंग	231371	196297	231371	196297	188340
	घ) अन्य बैंकिंग कारोबार	28839	46270	28839	46270	31308
	ड) अनाबंटित	35567	71842	35567	71842	64158
	कुल	819591	743875	819591	743875	740346

* dsoy izR;{k ykxr ds vkcaVu ij vk/kkfjr

Hkkx [k :HkkSxksfyd [k.M

cSad dk fons'k esa ifjpkYu (fons'k esa 'kk[kk,a) ugha gS, vr:fdlh izdkj
dh lwpuk nsuk visf{kr ugha gS A

टिप्पणियां :

1. बैंक ने इन वित्तीय परिणामों को तैयार करने में, यदि अन्यथा उल्लिखित न हो, वही लेखांकन नीतियां अपनाई हैं जो 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष की वार्षिक वित्तीय विवरणियों के लिए अपनाई गई थीं ।
2. कर्मचारी लाभ, आयकर हेतु प्रावधान और स्थाई आस्तियों पर मूल्यह्रास अनुमान आधार पर किए गए हैं ।
3. 31 दिसम्बर, 2009 को समाप्त तिमाही हेतु कर्मचारी लागत में, उद्योग स्तर पर चल रही वार्ता का निर्णय आने तक वेतन संशोधन के लिए 110 करोड़ रुपए का तदर्थ प्रावधान शामिल है ।
4. भारत सरकार ने प्रत्यक्ष कृषि ऋण लेने वाले सीमांत और लघु किसानों के ऋण माफ करने के लिए "कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008" (योजना) अधिसूचित की है । बैंक ने ऋण माफी योजना के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दिए गए प्रमाणन के आधार पर अस्वीकार्य ब्याज, व्यय और पात्र दावे के अंतर की राशि के लिए पूरा प्रावधान किया है ।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 के अंतर्गत राहत के लिए पात्र 'अन्य कृषक' के अंश के भुगतान के लिए अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2009 थी और जहां कृषकों द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 के बाद भुगतान में विलम्ब किया गया, वहां संबंधित खातों में बकाया राशि को एनपीए मान

लिया जाएगा । इस संबंध में दिशानिर्देशों के साथ पठित आईआरएसी के मानदंडों के अनुसार, बैंक ने उक्त योजना के तहत 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार ऋण राहत खातों में वसूल न हुई शेष 183.00 करोड़ रु. की कुल राशि को स्तरीय आस्ति में वर्गीकृत किया है (जिसके प्रति 2.84 करोड़ रु. का प्रावधान रखा गया है)

5. भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 23.04.2009 के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय आस्तियों की बिक्री के प्रति एआरसीआईएल द्वारा 30.06.2008 को जारी की गई प्रतिभूति रसीदों में निवेश का मूल्य 86.27 करोड़ रु. कम हो गया जो उक्त वित्तीय आस्तियों के प्रति किए गए मौजूदा प्रावधान की राशि है । ऐसी प्रतिभूति रसीदों का अब निवल बही मूल्य, उनके 107.00 करोड़ रु. के बही मूल्य की तुलना में 20.73 करोड़ रु. रह गया है।
6. 31 दिसम्बर 2009 को समाप्त तिमाही के लिए निवेशकों की शिकायतों का विवरण :
आरंभ में - शून्य, प्राप्त -155, निपटाई गई - 155, अनिर्णीत - शून्य
7. उक्त वित्तीय परिणाम लेखा परीक्षा समिति द्वारा संस्तुत और बैंक के निदेशक मंडल की दिनांक 28 जनवरी 2010 को हुई बैठक में अनुमोदित किए गए और ये सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा किए जाने के अध्यक्षीन थे ।
8. पिछली अवधि के आंकड़े, जहां जरूरी हैं पुनःसमूहित व पुनःव्यवस्थित किए गए हैं ।

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी (30 सितम्बर, 2009 को समाप्त तिमाही के लिए लेखा परीक्षित खातों की सीमित समीक्षा के संबंध में)

टिप्पणी :

बहियों का मिलान कुछेक खातों में बकाया प्रविष्टियों की पुष्टि / समाधान और निपटान के कारण होने वाले प्रभाव, यदि कोई हो, को हिसाब में नहीं लिया गया है क्योंकि यह निश्चित नहीं है ।

उत्तर

बहियों का मिलान, उचन्त, फुटकर, समाशोधन समायोजन, मांग ड्राफ्टों, अन्य बैंकों में खातों, विनिमय गृह खातों और अंतर शाखा खातों में बकाया प्रविष्टियों की पुष्टि / समाधान और निपटान का कार्य चल रहा है । प्रबंधवर्ग के मतानुसार, खातों पर ऐसे समाधान का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है ।

स्थान : नई दिल्ली (एस.सी. सिन्हा) (एच.रत्नाकर हेगड़े) (टी.वाई.प्रभु)

तिथि : 28 जनवरी, 2010 (कार्यकारी निदेशक) (कार्यकारी निदेशक) (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

